बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

पटना/दिनांक 16/09/2020

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-06/2017 1636 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **चिरैया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के प्रथम वर्ग (सहयोग समितियॉ) के सदस्य (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) कोटि के रिक्त पद पर उप निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।**

3. अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **चिरैया व्यापार मंडल सहयोग समिति** लि0 के प्रथम वर्ग (सहयोग समितियॉ) के सदस्य (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) के रिक्त पद पर उप निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 16.10.2020 (शुक्रवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के उक्त रिक्त पद को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 1308 दिनांक 12.06.2020 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.05.2020 निर्धारित की गयी है, तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 09.07.2020 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के उक्त सदस्य पद के निर्वाचन के लिए संलग्न **प्रपत्र-1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 19.09.2020 (शनिवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-5** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका **प्रपत्र-ई०18** में निर्वाचित सदस्य का नाम उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6. **कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02-07-2020 द्वारा 700 मतदाताओं के वजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश के अलोक में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों का निर्धारण तुरंत कर लेना है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अतिरिक्त बनाये गये मतदान केन्द्रों के लिए समिति को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इसपर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जायगा। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी**

विस्तारित करके 6:30 बजे पूर्वाहन से 4:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है।

7. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 19-09-2020 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 19-09-2020 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

8. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिवद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबून पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जायेगा।

16/9/20

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1636 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1636 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), चिरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), चिरैया को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल निर्वाचन के संचालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 688 दिनांक 04.08.2017 द्वारा दिये गये अनुदेश यथा संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के बेवसाईट www.bsea.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

16/9/20

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1636 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1636 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1636 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

चिरैया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के प्रथम वर्ग (सहयोग समितियॉ) के सदस्य (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि) के रिक्त पद के लिए उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- 1 में सूचना का प्रकाशन	19.09.2020 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	04.10.2020 (रविवार) एवं 05.10.2020 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	06.10.2020 (मंगलवार) एवं 07.10.2020 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	09.10.2020 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.10.2020 (शुक्रवार) 6:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.10.2020 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

प्रपत्र-1
सूचना का प्रपत्र
(पुराने व्यापार मंडल के लिए)

जिला ...., प्रखंड........................के व्यापार मंडल ...., निबंधन संख्या............................., पता ....के प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) के सदस्य (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि) के रिक्त पद का उप निर्वाचन दिनांक.........................को किया जाना है,

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 01 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से • अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद (आरक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में...को..पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.........................से दिनांक............................. तक ....बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक......................को...............................पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)
तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vi) संविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................को 6:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.................को ....बजे से..पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान–
तिथि – निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोज़ेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुन: सेनिटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यु पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

——0——